

06.8.24

पत्रावली पेश हुई। वकील भपीलांठ
उप.। वकील भपीलांठ ने आवेदन
पेश कर विवेदन दिया कि पत्रावली
को भागे चलाना नहीं चाहते हैं।
भट.। वकील भपीलांठ का आवेदन
स्वीकार किया जाता है एवं पत्रावली
नोट उभ में खारिज की जाती है।
पत्रावली केवल थुमार होकर नम्बर
से इस हो।


कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर